

UPBN040321262022



न्यायालय सप्तम अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०, बदायूँ।

परिवाद संख्या-23413/2022

प्रियंका

बनाम

अभिजीत आदि

संबंधित थाना:-बिनाबर, जिला बदायूँ।

दिनांक 02.08.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गयी। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मुकदमा दिनांक 03.02.2023 से लगातार अनुपस्थित चल रही है। और न ही कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र आदि पेश किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पत्रावली विगत कई तिथियों से वास्ते साक्ष्य बहस तलबी हेतु नियत चली आ रही है। परंतु परिवादिनी लगातार बहस हेतु अनुपस्थित आ रही है। जबकि परिवादिनी को पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादिनी को मुकदमा चलाने में कोई रुचि नहीं है। जबकि उसे मामले की पूर्ण जानकारी है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य से विपक्षीय के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उक्त परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

सप्तम अपर सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम,
बदायूँ।